सिद्दीकी श्रृंखला

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

सिविल सेवा (आचरण) नियम

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 77/4785/2001/1/3, दिनांक 27-8-2001 द्वारा यह नियम, आदेशों सहित अनुकूलित

College Library Bhemetara, M.P. 31415

लेखक

एन.एच. सिद्दीकी

अधीक्षक (सेवानिवृत्त),

जल संसाधन विभाग, म.प्र.

सुविधा लॉ हाउस प्रा.लि.

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2001

अधिसूचना

क्रमांक 77/4785/2001/1/3.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001** है।

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियाँ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द **''मध्यप्रदेश''** जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द **''छत्तीसगढ़''** स्थापित किये जाएँ।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी—

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
2.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता/-

(इन्दिरा मिश्रा)

प्रमुख सचिव.

म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

M.P./C.G. Civil Services (Conduct) Rules, 1965

विषय सूची

भाग - 1 — Part I

नियम — Rules

नियम	शीर्ष	पृष्ठ
	सामान्य	
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति Short Title, Commencement and Application	1
2.	परिभाषाएँ Definitions	1
3.	सामान्य General	2
3.क	तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार Promptness and Courteous behaviour	2
3.ख	शासन की नीतियों का पालन Observance of Government Policies	3
4.	शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में शासकीय सेवकों के निकट संबंधियों का नौकरी में रखा जाना Employment of near relatives of Government servants in private undertakings enjoying Government patronage.	3
5.	राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना Taking part in politics and elections	4
6.	प्रदर्शन तथा हड़ताल Demontrations and strikes	4
7.	शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन Proceeding on leave by Government servants	5
8.	शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना Joining of Associations by Government servants	5
9.	प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध Connections with press and other media	5
10.	शासन की आलोचना Criticism of Government	5
11.	समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य Evidence before committee or any other authority	6

नियम	विषय	पृष्ठ
12.	अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना Unauthorised communication of information	6
12क.	शासकीय जानकारी की संसूचना Communication of Official Information	6
13.	चन्दा Subscriptions	7
14.	उपहार Gift	7
14.क	दहेज Dowry	8
15.	शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन Public demonstration in honour of Government servants	8
16.	प्राइवेट कारोबार या नियोजन Private business or employment	9
17.	विनिधान, उधार देना तथा उधार लेना Investment, lending and borrowing	10
18.	ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता Insolvency and habitual indebtedness	11
19.	जंगम स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति Movable, immovable and valuable property.	12
20.	शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना Vindication of acts and character of Government servants	15
21.	अशासकीय या अन्य प्रभाव डालना Canvassing of non-official or other influence	15
22.	द्विविवाह Bigamous Marriages	15
22-क	अवचार की सामान्य धारणा General concept of Misconduct	16
23.	मादक पेयों तथा औषधियों का उपयोग Consumption of intoxicaint drinks and drugs	16
23-क	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध Prohibation regarding employment of children below 14 years of age.	16
24.	निर्वचन Interpretation	16
25.	शक्तियों का प्रत्यायोजन Delegation of powers	16
26.	निरसन तथा व्यावृत्ति Repeal and saving	16

विषय	पृष्ठ

भाग - 2 — संशोधन
Part-2 — Amendments

अधिसूचना/ज्ञाप क्रमांक	संशोधित नियम	पृष्ठ
370-सी.आर.309-एक (3)-72 29-6-1972	नियम 14 (2) एवं 14 (3)	19
सी. 5-1-83-3-एक 7-12-1983	नियम 14 (5), 17 (5), 19(2-क), 19(3-क), 19(3-ख) एवं 22 (क)	20
सी.5-2-85-3-एक 25-4-1986	नियम 14(2), 14(3), 14(4) एवं 19(3)	23
सी. 4-1-87-3-उनन्चास 19-9-1988	नियम 19 (2) एवं 19 (3)	25
सी. 5-1-96-3-एक 25-5-2000	नियम 1(3), 3(क), 3(ख), 9, 9(1), 9(2), 10, 12, 16, 17(4), 19(3), 19(5), 22(3), 23(घ) एवं 24-क.	26
सी. 5-2-2008-3-एक 27-9-2008	नियम 12-क जोड़ा गया।	34

भाग-3 — नियम, संबंधित निर्देश तथा निर्णय विधि
Part-3 — Rules, Instructions on Rules and Case-laws

नियम -1

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रयुक्ति
Short Title, Commencement and Application

1.	नियम		37
2.	राज्य शासन के निर्देश—		39
(1)	डी.115/68/I (3) 21-7-1977	कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये आचरण नियम, 1965 के प्रावधान लागू।	39
(2)	सी.5-1/93/3/1 13-7-1993	स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत।	40
(3)	सी.5-3/94/3/1 1-10-1994	मध्यप्रदेश स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम, 1965 लागू करने के संबंध में।	41
3.	निर्णय विधि—		
	(1) प्रत्येक कानून अथवा कानूनी नियम भविष्यलक्षी होता है जब तक कि उसे अभिव्यक्ततः अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा भूतलक्षी प्रभाव न दिया गया हो।		42
	(2) आचरण नियम— प्रस्तावना— उद्देश्य।		42
	(3) सामान्य/विशिष्ट आदेशों को, जब तक विशेष रूप से ऐसा प्रावधानित न हो, उन्हें वैध करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित कराने की आवश्यकता नहीं— शक्तियों का प्रत्योजन।		43

विषय	पृष्ठ
(4) जहाँ नियम नहीं बनाये गये हैं वहां सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु प्रशासनिक आदेश जारी किये जा सकते हैं।	44
(5) प्रशासनिक अनुदेश सांविधिक नियमों का स्थान नहीं ले सकते	45
(6) सेवा शर्तों में परिवर्तन— सेवा की प्रकृति सरकार द्वारा पूर्णतः परिवर्तित नहीं की जा सकती।	45
(7) राज्यपाल के अनुदेशों से सेवा नियम संस्थापित नहीं हो सकते	45
(8) प्रशासनिक अनुदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकते	45
(9) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के संबंध में जारी स्पष्टीकरण, नियमों के विस्तार के बाहर, अतः स्पष्टीकरण अवैध।	46
(10) सांविधिक नियमों के अनुसार ही प्रशासनिक अनुदेश जारी करना चाहिये	46
(11) सांविधिक परिशिष्टों को पुस्तकों के संदर्भों से नहीं बल्कि केवल प्राधिकार पूर्ण आदेशों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है।	46
(12) सांविधिक नियमों पर अधिनियम अभिभावी होगा तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत बनाये नियम, अनुच्छेद 73 के अधीन जारी कार्यपालक अनुदेशों में यदि विवाद हो तो अभिभावी होगा किन्तु ऐसे अनुदेश जो नियमों या अधिनियमों के पूरक हैं, वे बाध्यकर होंगे।	46
(13) भारत के नियंत्रक — महालेखा परीक्षक के स्थायी आदेशों के प्रावधान कार्य-पालक अनुदेशों से अधिक बल रखते हैं।	47
(14) प्रशासनिक अनुदेश/कार्यवाही कब न्यायिक पुनरीक्षण योग्य होते हैं	48

नियम - 2

परिभाषाएँ
(Definitions)

1.	**नियम**	49
2.	**राज्य शासन के आचरण** नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें	50

नियम - 3

सामान्य
(General)

नियम 3 (क)

तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार
(Promptness and courteous behaviour)

नियम 3 (ख)

शासन की नीतियों का पालन
(Observance of Government's Policies)

1.	**नियम**	51
2.	**राज्य शासन के निर्देश–**	52
(1)	आरक्षण नियम 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें	52

		विषय	पृष्ठ
(2)	1568/1044/I (iii) 18-7-1962	Govt. servant's role in the eradication of untouchability.	53
(3)	2093/3626/I(iii)/66 14-10-1966	Seeking redress in courts of law by Govt. servants of grievances arising out of their employment.	54
(4)	489/475/I (3)/71 8-9-1971	शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना।	54
(5)	460/सी.आर./396/I(3) 28-8-1971	विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति।	55
(6)	एफ. 5-1/77/3/1 1-10-1977	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार।	56
(7)	सी. 6-5/86/3/1 8-1-1987	गिरफ्तार किए गए शासकीय सेवक की गिरफ्तारी की सूचना।	56
(8)	एफ.18/6/92/जी/19 26-3-1992	शासकीय आवासों में बिना अनुज्ञा के संशोधन, परिवर्तन एवं अतिक्रमण बाबत।	57
(9)	सी. 3-107/92/3/I 30-8-1993	शासकीय सेवा में नियुक्तियों के संबंध में अविहित सूत्रों से प्राप्त अनुशंसाओं पर कार्यवाही।	58
(10)	सी. 5-2/94/3/I 27-8-1994	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	58
(11)	एफ. 11 (30) 94/1-10 7-11-1994	लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार	59
(12)	174-2-I-X-61	The M.P. Civil services (Safeguarding of National Security) Rules, 1961	60
(13)	सी.6-6/95/3/एक 3-1-1996	उच्च स्तर से प्राप्त मौखिक निर्देश/आदेश/हिदायतों की लिखित पुष्टि कराये जाने बाबत।	62

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देश

(1)	एफ 13-3/आ.प्र./2008/ 1-3, 12-6-2008	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में।	62

निर्णय विधि–

(1) अवचार की परिभाषा 63

(2) सत्यनिष्ठा (integrity) और कर्तव्यपरायणता (devotion to duty) का अर्थ। 64

(3) अशोभनीय आचरण (Unbecoming conduct) का अर्थ 65

(4) अवचार क्या है 65

(5) व्यक्तिगत स्वभाव या व्यक्तिगत कुशलता में कमी, अनुशासनिक कार्यवाहियों के लिये दुराचार का आधार नहीं बनाया जा सकता। 66

(6) अवचार सम्बद्ध स्थाई आदेश अथवा सेवा विनियम में अवश्य ही प्रगणित होना चाहिये तभी किसी कर्मकार को उसके आधार पर दंडित किया जा सकता है. अन्यथा नहीं — तात्विक तथ्यों को छिपाना अवचार है। 66

विषय	पृष्ठ
(7) 'शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय कार्य' का अर्थ सामान्य बुद्धि के अनुसार लगाना चाहिये— परीक्षण।	67
(8) लापरवाही के लिये कदाचार— जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि कर्मचारी ने धन के दुर्विनियोजन को सुविधाजनक बनाने में भाग लिया था, तब तक उसको चेक बुक रखने में की गई लापरवाही के लिये अवचार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।	67
(9) कदाचार— यदि कदाचार से दांडिक निष्कर्ष निकलते हैं तो नियोजक इसके लिये बाध्य है कि वह उसे विनिर्दिष्ट तौर पर बताए और यदि आवश्यक हो तो सुनिश्चित ढंग से उसे परिभाषित करे, जिससे कि किसी घटना का कोई अधिकृत निर्वचन अवचार न माना जाए।	68
(10) कदाचार— कर्मचारी द्वारा दीर्घकालीन निष्कलंक सेवा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में केवल एक बार अविवेकी, अशिष्ट या धमकी देने वाली भाषा के प्रयोग पर पदच्युति का दण्ड अनुपातहीन एवं अत्यधिक— दण्ड कदाचार के अनुपात में होना चाहिये।	69
(11) उच्च अधिकारियों को सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना दुराचरण का कृत्य नहीं है	70
(12) अभ्यावेदन में अपमानजनक तथा निन्दात्मक भाषा का प्रयोग तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं।	70
(13) शासकीय आवास का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने हेतु जाँच— ऐसी जाँच अनुशासनिक जाँच नहीं बल्कि घरेलू जाँच हो सकती है। शिकमी किरायादार रखने की तिथि से ही मानक किराया अनुज्ञेय।	71
(14) अवचार अनाधिकृत रूप से शासकीय आवास रखना क्या आचरण नियम 3 के अंतर्गत अवचार है? नहीं ..... आवास रिक्त कराने के लिये अनुशासनिक कार्यवाही तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति करना अनुचित— शास्ति आदेश अपास्त— सभी सेवा लाभ देय।	71
(15) कदाचार— ज्ञात आय से अनुपातहीन परिसम्पत्ति होना— विभागीय जांच — संकीर्ण मनस्त तथा शासकीय सेवक की सन्निष्ठता के आंकलन के मूल्यांकन के विरुद्ध आपत्ति सूचना 10 प्रतिशत कुशन देने के बाद भी असंगत परिसम्पत्ति रखने का दोषी।	72
(16) कदाचार— ज्ञात आय के स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना— आयकर प्राधिकारियों तथा विभागीय जांच में उठे प्रश्न पूर्णतः भिन्न और विपरीत.....अतः आयकर से मुक्त होने पर विभागीय जाँच में दोषी पाये जाने का निष्कर्ष प्रभावित नहीं होगा।	74
(17) (क) विभागीय जाँच — कदाचार — ज्ञात आय के स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति का रखना— साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर अनुशासनिक/अपीलीय अधिकारियों के निष्कर्ष— न्यायिक पुनर्विलोकन— न्यायालय या अधिकरण साक्षियों (evidence) पर आधारित निष्कर्षों पर हस्तक्षेप कर अपने निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।	75
(ख) लोक सेवक के ज्ञात आय के स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति रखना— यद्यपि वर्गीकरण नियमों के 'दुराचार' के परिभाषा में शामिल नहीं है किन्तु ऐसा होते हुए भी यदि अपचारी ऐसी परिसम्पत्ति का लेखा देने में असफल रहता है तो इसे दुराचरण माना जाएगा क्योंकि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,	76

विषय	पृष्ठ
1947 के सेक्शन 5(1) (ई) के संघटक (ingredients) का दोषी पाया जाता है तो सजा का भागी होगा— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का सेक्शन 13 (1) (ई)।	
(ग) विभागीय जाँच— शास्ति— अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान पदोन्नति— यह लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम के अधीन है और अतः उचित शास्ति अधिरोपित करने में बाधा नहीं डालेगी।	76
(घ) विभागीय जाँच— प्रारंभ करने में विलम्ब— क्या अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है— यह मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा— ऐसे मामले में आवश्यक तथ्यों को एकत्रित करने में समय लगता है, अतः संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं होगा।	76
(18) लोक सेवक की सत्यनिष्ठा विश्वसनीय सारवान् के आधार पर निश्चित होनी चाहिये— ऐसा निश्चय लेने हेतु अनुसरण करने वाली प्रक्रिया।	78
(19) न्यायिक/अर्ध-न्यायिक कृत्यों के प्रयोग में अधिकारी द्वारा लिया गया विनिश्चय— अधिकारी के विरुद्ध कब अनुशासनिक कार्यवाहियों का आधार बन सकता है— परीक्षण— क्या विनिश्चय उसके पदीय कर्तव्य के विस्तार के भीतर है— यद्यपि सुस्पष्टतया त्रुटिपूर्ण निर्णय के मामले में, यदि अपनी शक्ति के अधिकार में लिया गया है, कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं होगी, किन्तु यदि भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्य के अनुवर्ती में निर्णय लिया गया है तो अनुशासनिक कार्यवाही होगी। यह प्रत्येक मामले के परिस्थितियों पर निर्भर होगा। निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकता है, किन्तु अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार या असंगत विचार का अभिकथन नहीं है, अतः उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।	78
(20) न्यायिक/अर्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग— यदि अधिकारी किसी व्यक्ति पर अनुचित उपकार लापरवाही या अंधाधुन्ध से प्रदान करता है तो नियमों के उल्लंघन के लिये सरकार अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम है।	79
अर्ध-न्यायिक कृत्यों का प्रयोग करते हुए निर्णित मामलों में क्या वह अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों से उनमुक्ति का उपयोग कर सकता है? नहीं। प्राधिकार के आदेश की वैधता को अधिनियम के अंतर्गत अपील या पुनर्विलोकन में चुनौती दे सकता है।	79
(21) न्यायालय द्वारा अवचार बाबत राज्य सरकार के विवेकाधिकार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।	80
(22) अवचार का एक आरोप सिद्ध होने पर भी शास्ति आदेश कायम रहेगा	81
(23) स्थापित आरोप में अवचार स्पष्ट नहीं— अतः आरोप असफल	81
(24) निजी जीवन में किए गए अवचार हेतु शासकीय सेवक पर शास्ति अधिरोपित करने में राज्य की शक्ति।	81
(25) 'अवचार' और 'आपराधिक अवचार' में विभेद	81
(26) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 तथा 5	81
(27) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4	81
(28) अभियोजन चलाने के लिये सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं	82

विषय	पृष्ठ
(29) कौन से कृत्य अवचार है–	
(i) धमकी भरा पत्र लिखना	82
(ii) ज्येष्ठ अधिकारी के विरुद्ध असत्य कथन करना	82
(iii) ज्ञात आय के स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखना	82
(iv) अनुपस्थित रहना और की गई कार्यवाही के विरुद्ध भूख हड़ताल का सहारा लेना।	82
(v) ट्रक में आग लगाना, असावधानी का पर्याप्त प्रमाण	82
(vi) वाहन से पेट्रोल निकालकर शराब हेतु उसे बेचना	82
(vii) मनमानी यात्रा करना	83
(viii) कार्यालय के बाहर महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करना	83
(ix) झूठी अपराधिक शिकायत लिखाना, कृतक नाम से शिकायत भेजना	83
(x) दूसरे शासकीय सेवक पर प्रहार करना	83
(xi) उचित माध्यम का अनदेखा कर सीधे अभ्यावेदन प्रस्तुत करना	83
(xii) धरना में भाग लेना हड़ताल है, अतः अवचार है	83
(xiii) भूख हड़ताल पर बैठना	83
(xiv) ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाही/असावधानी	83
(xv) कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति	83
(xvi) बिना लायसेन्स हथियार रखना	83
(xvii) विभागीय निर्देशों के अनुसार काम न करना	83
(xviii) अन्धाधुन्ध वाहन चलाने से क्षति होना	83
(xix) पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना	83
(30) कौन से कृत्य अवचार नहीं हैं –	
(i) यूनियन के सचिव की हैसियत से रेल दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में रेल सेवकों की प्रतिक्रियाओं और विचारों का प्रकाशित करना।	83
(ii) गृह निर्माण/स्कूटर अग्रिम का वापस न करना	83
(iii) अनुपस्थिति में ठेकेदार की त्रुटिपूर्ण सेन्ट्रिग तथा शटरिग के कारण छत का गिरना।	84
(iv) टेलीफोन यंत्रों को स्टाक से घर ले जाना	84
(v) भूतलक्षी प्रभाव से अवचार के कृत्य लागू नहीं किए जा सकते	84
(vi) बदमाशों ने डाकघर से धनराशि को लूटा, अतः नियम 3 (1) (i) तथा (ii) लागू नहीं।	84
(vii) बीमारी के कारण अनुपस्थिति	84
(viii) शासकीय आवास का स्थानान्तर पर रिक्त न करना	84
(ix) अग्रिम या उधार लेने की शर्तों का उल्लंघन करना	84
(x) अर्ध न्यायिक शक्ति के प्रयोग में निर्णय की त्रुटि अवचार नहीं, किन्तु गलत निर्णय के पीछे यदि भ्रष्ट अभिप्राय पाए जाएँ तो अवचार होगा।	84
(xi) कार्यक्षमता का उच्चतम मानदण्ड प्राप्त करने की असफलता	84

विषय	पृष्ठ
(xii) मनमाना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की असफलता	84
(xiii) शासकीय आवास में अनाधिकृत रूप से रहना	84
(xiv) आवंटन निरस्त होने के बाद भी आवास खाली न करना	85
(xv) चार यात्रियों को बस टिकट न देना बेईमानी का इरादा नहीं	85
(xvi) अपात्र व्यक्ति द्वारा पदोन्नति स्वीकार करना	85
(xvii) विरोधाभाषी बयान देना	85
(31) ड्यूटी के समय ताश खेलने पर हेड कान्सटेबल को सेवा से हटाया गया— प्रशासनिक अधिकरण ने शास्ति आदेश अपास्त कर बहाली का आदेश दिया— उच्चतम न्यायालय ने शास्ति कठोर पाया— पिछले वेतन की पात्रता न करते हुए सेवा में बहाल करने का निर्णय दिया।	85
(32) (क) अननुपातिक संपत्ति— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (e) और 5 (2)— उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध अननुपातिक संपत्ति सिद्ध पाई और उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखा। (ख) अतिरिक्त अनुसंधान— विशेष पुलिस स्थापना ने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट न होने की अंतिम रिपोर्ट विशेष जज को प्रस्तुत की जिसे जज ने स्वीकार किया— इसके बाद विशेष पुलिस स्थापना ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र जज को प्रस्तुत किया कि और अधिक अनुसंधान करने की अनुमति दी जाय जो जज ने प्रदान की थी— राज्य शासन से भी इस बाबत अनुमति प्राप्त कर विशेष जज के समक्ष सेवक के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया— इस तर्क को कि अतिरिक्त अनुसंधान नहीं किया जा सकता था, उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।	86

नियम - 4

शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नौकरी में रखा जाना

Employment of near relatives of Government servant in private undertaking enjoying Government partonage.

1.	नियम	87
2.	राज्य शासन के अनुदेश—आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें	88

नियम - 5

राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना

Taking part in Politics and Elections

1.	नियम		89
2.	राज्य शासन के निर्देश—		90
(1)	General Book Circular — Part I, Serial No. 9, Para 4		91
(2)	2904/3763/I (iii)/66 23-12-1966	Association of Govt. servants with the activities of R.S.S./Jamaat-e-Islami.	92
(3)	498/629/I(3)72 23-8-1972	सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	92

		विषय	पृष्ठ
(4)	542/सी.आर. 353/ एक (3) 14-9-1972	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत।	93
(5)	एफ.5-1/74/3/i 15-5-1974	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना।	94
(6)	एफ. 5-3/74/3/I 3-9-1974	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में।	94
(7)	एफ. 5-3/74/3/1 30-4-1975	-तदैव-	95
(8)	डी. 2/6/1(3)/78 3-6-1978	राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान में शासकीय कर्म-चारियों के भाग लेने बाबत।	95
(9)	171/52/1(3)/81 16-4-1981	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	96
(10)	डी.173/165/1(3)/81 16-4-1981	शासकीय कर्मचारियों को 'आनन्द मार्ग' के कार्य-कलापों के साथ साहचर्य।	97
(11)	562/1695/एक (3)/81 24-11-1981	-तदैव-	98
(12)	सी.3-16/88/3/49 22-8-1988	शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी.एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य।	98
(13)	सी.5-2/93/3/1 29-4-1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य।	99
(14)	एफ.24-19/93/सी/1 20-8-1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	100
(15)	एफ. 19-36/94/1/4 23-3-1994	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अंतर्गत निर्वाचनों में आफिसरों द्वारा अभ्यर्थियों के लिये कार्य न करने बाबत निर्देश।	101
(16)	527/567/1 (3)71 23-9-1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य-कलापों में भाग लेने संबंधी।	104
(17)	सी. 5-2/2000/3/एक 30-5-2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	105
(18)	सी/5-27/2000/3/एक 14/21-8-2006	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में।	105

3. निर्णय विधि—

(1) शासकीय सेवा में आने से पूर्व राजनीतिक पार्टी से संबंध— मात्र इस आधार पर शासकीय सेवा से हटाया जाना अनुचित कि पुलिस ने यह रिपोर्ट की थी कि वह किसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जनसंघ से सम्बद्ध था। 106

(2) साम्यवादी पार्टी (Communist Party) के सदस्यों से सम्बन्ध रखना राजनीतिक पार्टी के कार्यकलापों में रुचि रखना Civil Services (Safe- 107

	विषय	पृष्ठ
	guarding of National Security) Rules , 1949 का नियम 3 तथा 4 विनाशक कार्यकलापों से संबंध रखना नहीं, अतः नियम 3 लागू नहीं।	
(3)	केवल रैली में उपस्थित रहना— नियम 5 आकृष्ट नहीं होगा	108
(4)	राजनीतिक मीटिंग में निश्चेष्ट उपस्थिति (passive attedance) होना अनुचित नहीं।	108
(5)	शासकीय परिसरों में सभा का प्रतिषेध करना उचित	108
(6)	शासकीय सेवक का निर्वाचन में भाग लेना— अवचार, अभिनिर्धारित— आचरण नियम 5 यह अनुज्ञा नहीं देता कि शासकीय सेवक निर्वाचन में भाग लें।	109

नियम - 6

प्रदर्शन तथा हड़ताल
(Demonstration and Strike)

1.	**नियम**		110
2.	**राज्य शासन के निर्देश--**		110
(1)	डी.300/2051/87/ आर-1/चार, 20-6-1988	मूलभूत नियम 17-ए	111
(2)	डी.800-1267-1(3) 5-11-1975	शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध।	112
(3)	सी.9-2/90/3/1 2-2-1991	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अविधि के संबंध में।	113
(4)	सी.5-2/94/3/1 27-8-1994	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	114
3.	**निर्णय विधि--**		
	(1) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप या 'पर प्रतिबंध' संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) तथा (बी) में दिए अधिकारों का उल्लंघन है— हड़ताल पर प्रतिबंध उचित।		115
	(2) प्रदर्शन और हड़ताल में अंतर— संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत हड़ताल करना मूलभूत अधिकार नहीं— जब हड़ताल गैर कानूनी घोषित कर दी गई तब इससे सम्बन्धित गतिविधियाँ अवैध— प्रशासनिक शालीनता के हित में जब शासकीय सेवक को हड़ताल से वर्जित किया गया, तब ऐसी कार्यवाही अनुच्छेद 14 तथा 16 के अनुसार असंवैधानिक नहीं।		118
	(3) हड़ताल (बंद) के दिन अनुपस्थित रहना— क्या सेवा में व्यवधान लागू किया जा सकता है? नहीं।		120
	(4) हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति— चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति— आदेश लोक सेवा हितार्थ में नहीं अतः अपास्त करने		121

	विषय	पृष्ठ
(5)	संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है— ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है— हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है, अतः पदच्युत किए गए कर्मकारों को काम पर वापस लेना न्याय के हित में होगा।	121
(6)	नियम 6 (दो) के अंतर्गत समयोपरि कार्य (overtime work) से इंकार करना हड़ताल है।	121
	मूलभूत नियम 17-ए— अप्राधिकृत अनुपस्थिति— सेवा में विच्छेद— नियम की संवैधानिक विधिमान्यता अनुमोदित— यदि समयोपरि कार्य से इन्कार किया जाता है तो इस नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।	121

नियम - 7

शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन
(Proceeding on leave by Govt. servants)

1.	नियम		123
2.	राज्य शासन के निर्देश—		123
(1)	मूलभूत नियम 26 के A.G.I.	स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहने का वेतनवृद्धि पर प्रभाव।	123
(2)	714-R-516-N-R-I 9-6-1972	लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव	123
(3)	245-2038-76-R-I-IV 9-3-1977	कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का नियमितीकरण नहीं।	123
(4)	अवकाश नियम, 1977	अवकाश नियम, 1977 के नियम 24 का प्रावधान	124
(5)	62/1464/2 (3)/79 28-1-1980	अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि में कर्मचारी का निलम्बन।	124
(6)	सी.3-12/90/3/49 4-9-1990	शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/अनधिकृत अवकाश— अनुशासनिक कार्यवाही।	125
(7)	सी. 6-36/92/3/1 5-9-1992	शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में।	125
(8)	सी. 3-7/1/3/99 25-2-1999	शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृति	127
(9)	सी-6-3/2000/3/एक 2-2-2000	शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही।	127
(10)	सी.6-6/2000/3/एक 16-8-2000	अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही।	128
3.	निर्णय विधि—		
(1)	ड्यूटी से अनुपस्थिति — स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थित रहना— सेवा समाप्ति अनुचित।		129
(2)	लम्बी बीमारी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित— नियमों में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी अपने आप सेवा समाप्ति नहीं हो सकती।		129

	विषय	पृष्ठ
(3)	न्यायालय से डिक्री के बाद भी प्राधिकारियों ने ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी— 5 वर्षों से अधिक समय की अनुपस्थिति सेवा समाप्ति से अनुच्छेद 311 का उल्लंघन हुआ।	130
(4)	स्थाई शासकीय सेवक का पाँच वर्षों से अनुपस्थित रहना— शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करना— पुनः स्थापन हेतु अवमुक्ति।	130
(5)	पुत्र की बीमारी के कारण, स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थिति रहना— संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करते हुए सेवा समाप्त करना— अवैधानिक।	131
(6)	अध्यापक का परीक्षा देने जाना और इसे जानबूझकर अनुपस्थिति मानते हुए सेवा समाप्त करना — आदेश अपास्त।	131
(7)	अधिकारी बीमारी के कारण अवकाश पर था। स्वस्थता प्रमाण पत्र न देने के कारण ड्यूटी पर नहीं लिया गया। इसे जानबूझकर कर अनुपस्थित रहना मान कर पाँच वेतनवृद्धियाँ रोकने की शास्ति दी गई। ऐसी परिस्थिति में अनुपस्थित मानना अनुचित।	131
(8)	दुराचरण — स्वीकृत अवकाश के बाद अनुपस्थिति— स्वीकृति अवकाश के पूर्व अवकाश बढ़ाने का आवेदन पत्र देना— दुराचरण का दोषी नहीं— स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति नोटिस की स्वीकृति आवश्यक नहीं— मूलभूत नियम 56 तथा केन्द्रीय पेंशन नियम 48 (1)	132
(9)	ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण आचरण नियम 3 (1) (ii) तथा (iii) का जानबूझकर उल्लंघन करने बाबत् आरोपित— स्वेच्छा सेवानिवृत्ति अनुज्ञात— सिद्ध आरोप के आधार पर पेंशन तथा उपदान की सम्पूर्ण राशि का रोकना— यह दंड अवचार की गंभीरता के अनुरूप नहीं, अतः कार्यवाही अवैध तथा अविधिमान्य।	133
(10)	कर्तव्य से अनुपस्थित अवधि को बिना कारण बताओ नोटिस दिये अकार्य दिवस (dies non) मानना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन।	134
(11)	आकस्मिक अवकाश— कर्त्तव्य और मुख्यालय से अनुपस्थिति आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था जो न स्वीकार और न अस्वीकार किया गया— ऐसी परिस्थिति में अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप कायम नहीं रखा जा सकता— शास्ति आदेश अपास्त।	134
(12)	अवकाश अवधि से अधिक रुकने पर पदच्युति का औचित्य— जहाँ अवकाश का बढ़ाना अस्वीकार किया गया किन्तु सेवक स्वेच्छा से नहीं बल्कि अप्रतिरोध्य परिस्थितियों के कारण कुछ दिन और अनुपस्थित था, वहाँ पदच्युति अनुचित, लघु शास्ति दी जा सकती है— शास्ति अनुपातहीन।	135
(13)	जानबूझकर कर अनुपस्थित— तथ्यों के आधार पर अभिनिर्धारित, अवकाश स्वीकृत कर जब अनुपस्थिति नियमित कर दिया गया हो तो शास्ति अधिरोपित करने के लिये इसे दुराचरण नहीं माना जा सकता।	135
(14)	स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व ड्यूटी पर वापसी— उपस्थिति रिपोर्ट का यह अर्थ नहीं कि स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व ड्यूटी ज्वाइन करने की अनुमति मांगी गई थी। केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का नियम 24 (1)— म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 का नियम 23 (1)।	135
(15)	प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थिति — विभागीय जांच के बाद पदच्युति की शास्ति अधिरोपित— प्रकरण की परिस्थितियों और	136

विषय	पृष्ठ
दुराचरण के स्वरूप के प्रकाश में उच्चतम न्यायालय ने पदच्युति के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति अंतःस्थापित किया।	
(16) अस्थायी सेवक अपनी सेवा की अधिकांश अवधि में अवकाश पर था— इससे ऐसा प्रदर्शित है कि उसे कार्य में रुचि नहीं है— अतः अस्थायी सेवा नियमों के नियम 5 (1) के अंतर्गत सेवा की समाप्ति का आदेश उचित पाया गया।	136
(17) पत्नी की बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने के बावजदू सेवा समाप्ति— अनुचित— वर्ष में एक दिन की अनुपस्थिति अनियमित अनुपस्थिति नहीं।	137
(18) दुराचरण — जानबूझकर अनुपस्थिति — जब अनुपस्थिति को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया हो तो उस अवधि को जानबूझकर अनुपस्थित रहना नहीं कहा जा सकता और शास्ति आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।	137
(19) सात दिनों की अनुपस्थिति हेतु सेवक को निलम्बित कर सेवा से पदच्युत किया गया— शास्ति कठोर मानी गई, अतः लगातार सेवा में बने रहने के साथ सभी लाभों सहित बहाल किया गया किन्तु आचरण में सुधार के लिये पदच्युत तिथि से निर्णय की तिथि अर्थात् 4-12-1998 तक वेतन का 50 प्रतिशत पात्रित किया गया।	138
(20) बिना वेतन अवकाश— क्षमा करना— जब अनुपस्थिति अवधि को बिना वेतन का अवकाश (leave without pay) माना जाए तब दुराचरण का क्षमादान नहीं होता बल्कि केवल अवकाश का नियमितीकरण होता है।	138
(21) अकार्य दिवस (dies-non)— शास्ति का रूप होता है अतः बिना जांच के अधिरोपित नहीं किया जा सकता।	139
(22) (क) सेवा समाप्ति— बिना अवकाश लिये तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अनुपस्थिति के कारण अनुशासनिक कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत किया गया— उच्च न्यायालय ने इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित कर दिया— अपील में उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुचित बताया और विभागीय आदेश को कायम रखा।	139
(ख) शास्ति की मात्रा— न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति— अभिनिर्धारित प्रशासकीय प्राधिकारी का आदेश मुख्य और न्यायालय का गौण, और यह तभी होगा जब शास्ति आरोप की तुलना में अधिक हो।	139
(23) पदच्युति— कदाचार— राज्य सड़क परिवहन कार्पोरेशन का बस कन्डक्टर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक अवैध रूप से अनुपस्थित था— कई अवसर देने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुआ— पिछले अवसरों पर भी वह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता था— यह गम्भीर कदाचार है— अभिनिर्धारित, सेवा से पदच्युत करने की शास्ति उचित है।	141
नियम - 8	
शासकीय सेवकों द्वारा संस्थाओं में सम्मिलित होना (Joining of Association by Govt. servant)	
1. नियम	142
2. राज्य शासन के निर्देश—	142
(1) 2232-160-I (iii)/68 30-1-1968 Govt. servants (Service Association Rules, 1967.	142

		विषय	पृष्ठ
(2)	313/मुस/73 1-3-1973	कर्मचारी संघों से प्राप्त पत्रों का उत्तर दिया जाना	142-143
(3)	एफ.5-6/75/जेसीसी/1 28-10-1973	-तदैव- -तदैव-	143
(4)	26-3-75-क्ष-एक 4-7-1975	संस्थाओं पर लागू भारत रक्षा नियम, 1971 बाबत अधिसूचना तथा अनुसूची।	143
(5)	डी.576/1719/1 (3)/75, 25-8-1975	शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश।	145
(6)	102/337/1-15/92 25-1-1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन के आदेशों की प्रतियां प्रदान करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	145
(7)	9-2/92/कक/1-15 4-7-1992	राज्य स्तरीय संघों को शासन के आदेशों की प्रतियां प्रदान करने एवं उनसे प्राप्त पत्रों का उत्तर देने बाबत।	146
(8)	2042/3246/94/1-15 2-11-1992	एक कर्मचारी संघ के सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना संबंधी एक विधिक आपराधिक प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्तियाँ।	147
(9)	2456-1549-I (iii) 2-12-1959	M.P. Govt. Servants (Recognition of Service Association) Rules, 1959	154
(10)	सी.5-2/94/3/1 27-8-1994	'कार सेवा' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	157
(11)	सी.5-1/97/3/1 20-2-1998	शासकीय सेवकों द्वारा अखिल भारतीय बामपंथी मोर्चा संघ (AIPRF) की गतिविधियों में भाग न लेना।	158
(12)	1744/2940/06/1/3 5-8-06	शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।	158

3. निर्णय विधि—

(1) संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (सी)— शासकीय सेवकों को संघ (Association) बनाने का अधिकार है। 159

(2) उच्चतम न्यायालय के मतानुसार 'प्रदर्शन के किसी स्वरूप' पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) तथा (बी) में दिये अधिकारों का उल्लंघन है हड़ताल पर प्रतिबंध उचित। 162

(3) संघ या यूनियन बनाने का अधिकार संवैधानिक है— ट्रेड यूनियन का काम ही श्रमिकों की आवाज उठाना है— हड़ताल में भाग लेना ट्रेड यूनियन के क्रियाकलाप का एक भाग है— अतः पदच्युत किये गये कर्मकारों को काम पर लेना न्याय के हित में होगा। 162

नियम - 9

प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध
(Connection with Press or other media)

1. नियम 163

2. मूलभूत नियमों में प्रावधान मूलभूत नियम 48 164

		विषय	पृष्ठ
3.	राज्य शासन के निर्देश–		
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें	169
(2)	6644/748/1(3)/69 16-4-1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि।	169
(3)	एम 15/147/73/4/1 7-8-1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में।	170
(4)	1796/मुस./73 7-12-1973	सार्वजनिक समारोह, उद्घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में।	170
(5)	256/मुस./76 8-4-1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास बाबत।	171
(6)	319/मुस./76 28-4-1976	शासकीय अधिकारी द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाना।	171
(7)	एम.15/78/76/4/1 20-9-1976	प्रतिमा स्थापना के संबंध में।	172
(8)	एम. 15-52/77/4/1 23-8-1977	पुल, भवन, बांध आदि के उद्घाटन के लिये खर्च की स्वीकृति देने बाबत।	173
(9)	2259/1665 (4)/81 23-4-1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि के संबंध में।	173
(10)	एम.23-27/81/4/1 5-12-1981	-तदैव- -तदैव-	174
(11)	एम.19-246/85/1/4 2-5-1986	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना।	174
(12)	एम.19-95/87/1/4 23-4-1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना।	175
(13)	एम.19-69/88/1 (4) 7-4-1988	-तदैव- -तदैव-	175
(14)	एम. 19-58/92/1/4 30-7-1992	-तदैव- -तदैव-	176
(15)	एम.19-146/1992/1/4 25-1-1994	-तदैव- -तदैव-	176
(16)	एम. 19-58/1992/1/4 23-5-1995	-तदैव- -तदैव-	177
(17)	एम.19-44/1995/1/4 29-5-1995	-तदैव- -तदैव-	177
(18)	एम.19-115/1998/1/4 17-8-1998	शासकीय योजनाओं के संबंध में।	178
(19)	सी.3-19/2000/3/एक 12-7-2000	शासकीय अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों/दूरदर्शन में समाचार का प्रकाशन/प्रसारण।	178

		विषय	पृष्ठ
(20)	एफ 19-87/2000/1/4, 14-6-2000	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास न करना तथा स्वयं के प्रचार से दूर रहना।	179

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देश

(1)	308/सा.प्र.वि./2001/1/5 7-9-2001	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास न करना तथा स्वयं के प्रचार से दूर रहना।	180
(2)	एफ 10-25/2005/1/5 29-10-2007	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/ शिलान्यास न करना तथा स्वयं के प्रचार से दूर रहना।	180

4. **निर्णय-विधि–**

(1) साहित्यिक कार्य प्रकाशित कराने हेतु अनुमति— न्यायिक अधिकारी द्वारा संविधि से सम्बन्धित कानून की व्याख्या के प्रकाशन हेतु अनुमति— यद्यपि इसका प्रकाशन नियम 9 के अंतर्गत नहीं आता तथापि उच्च न्यायालय पुनः विचार करे। 182

(2) यूनियन के सचिव द्वारा रेलवे की दुर्घटनाओं बाबत कर्मचारियों की प्रतिक्रिया तथा विचार लिखना अवचार नहीं है। 182

नियम - 10

शासन की आलोचना

(Criticism of Government)

1. **नियम** 183

2. **राज्य शासन के निर्देश**

(1) आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें 184

3. **निर्णय-विधि–**

(1) भाषा विवाद संबंधी भाषण पर अनिवार्य सेवानिवृत्त— अभिनिर्धारित, संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधान लागू नहीं अतः शास्ति आदेश निरस्त। 185

(2) नियुक्ति — निरर्हता — आपातकाल में एक अवसर पर नारेबाजी हेतु भारत सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सिद्धदोष ठहराया गया— इसे छिपाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त— अनुचित। 185

(3) शासन की आलोचना — क्या आल इंडिया रेडियो के स्टाफ को रेडियो पर व्यक्तिगत शिकायतों पर प्रकाश डालने के लिये नियम के दूसरे परन्तुक के अंतर्गत छूट प्राप्त है? अभिनिर्धारित, नहीं। 185

(4) नियम का संवैधानिक वैधता— अभिनिर्धारित, शासकीय सेवक को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य तथा किसी वृत्ति या उपजीविका का अधिकार है, नियम द्वारा लागू प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (2) नहीं रोकता क्योंकि सरकार की नीति की प्रत्येक आलोचना लोक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती, तथापि अनुच्छेद 19 (6) इस नियम का निवारण करता है क्योंकि नियम में लगाए प्रतिबंध को लोकहित में कहा जा सकता है। 186

नियम का अर्थ यह लगाया जाएगा कि शासकीय सेवक सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर शिकायतों पर संघ द्वारा सरकार की आलोचना कर सकते हैं किन्तु सरकार की ऐसी नीतियों या कृत्यों के बारे में जो उनसे सम्बन्धित न हों, ऐसा नहीं कर सकते। 186-187

	विषय	पृष्ठ
	(5) आचरण नियमों द्वारा जो प्रतिबंध लगाये गये हैं वे उचित हैं— बिना अनुमति के राज्यपाल को पत्र लिखना, नियोजक— निगम पर कुप्रकार्य का अभिकथन करना— तथ्यों के आधार पर अधिरोपित शास्ति उचित।	189
	नियम - 11	
	समिति या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य (Evidence before a Committee or any other Authority)	191
1.	नियम	191
2.	राज्य शासन के निर्देश—	
(1)	पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक 1-क — न्यायालय द्वारा शासकीय सेवक को साक्ष्य देने के प्रयोजन से शासकीय दस्तावेजें पेश करने के लिये बुलाये जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।	196
(2)	मूलभूत नियम 112 तथा 113 — साक्ष्य देने, विभागीय जांच पर उपस्थित होने अथवा दीवानी या फौजदारी दोषारोपण के उत्तर देने हेतु यात्रा भत्ते की पात्रता।	
	नियम 12	
	अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना (Unauthorised Communication of Information)	203
1.	नियम	204
2.	राज्य शासन के निर्देश—	
(1)	पुस्तक परिपत्र भाग-1, क्रमांक 9 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	204
(2)	पुस्तक परिपत्र भाग-2, क्रमांक-1 — शासकीय पत्र व्यवहार	207
(3)	एफ.11-18/98/9/एक 3-2-1999 — शासकीय पत्राचार में अधिकारियों द्वारा अपने नाम और पद का स्पष्ट उल्लेख करने बाबत।	207
(4)	सी. 5-1-96-3-एक 27-3-2001 — शासकीय सेवकों द्वारा अपने हित में शासकीय दस्तावेजों का दुरुपयोग।	
3.	निर्णय विधि—	209
	(1) नियम की संवैधानिकता	
	नियम - 13	
	चन्दा (Subscription)	210
1.	नियम	210
2.	राज्य शासन के निर्देश—	210
(1)	पुस्तक परिपत्र भाग 1, क्रमांक 9 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	

		विषय	पृष्ठ
(2)	पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक 10	जनहित के कामों के लिये चन्दा तथा दान इकट्ठा करना।	211
(3)	388/मु.स./76 16-5-1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा चन्दा एकत्र करने के बारे में।	211
	5214/5754/1 (4) 21-9-1981	-तदैव- -तदैव-	211
	6108/1 (4)/82 18-10-1982	-तदैव- -तदैव-	212
(4)	एफ. 8-39/88/9/49 21-4-1989	शासकीय अधिकारियों द्वारा जनहित के कार्यों के लिये चन्दा एवं दान एकत्रित किया जाना तथा दानदाताओं के नाम पर शासकीय भवनों एवं संस्थाओं का नामकरण।	212
(5)	11-21/92/9/1 2-7-1992	शासकीय सेवकों द्वारा चन्दा इत्यादि एकत्र न किये जाने के संबंध में निर्देश।	215
(6)	19-134/2000/1/4 12-9-2000	नियमों में सरलीकरण	216

3. **निर्णय विधि–**

(1) दान संग्रह — किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निगम का कोई कर्मचारी किसी न्यास अथवा अन्य संगठन के लिये अपने नियोजन के दौरान सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों से दान संग्रह नहीं करेगा क्योंकि इससे दूषित प्रभावों और हानिकारक परिणाम निकलने की संभावना है। 217

(2) आरक्षकों द्वारा रिट याचिका फाइल करने के लिये आपस में चन्दा करना — अवचार नहीं है— प्रत्येक नागरिक न्यायालय पहुंचने के लिये स्वतंत्र है— रिट याचिका खर्चों सहित स्वीकार, आरोपपत्र अपास्त। 217

नियम - 14 तथा 14 - ए

उपहार
(Gifts)

1. **नियम** 219

2. **राज्य शासन के निर्देश–**

(1)	G.B.C. Part I, Sl.No. 9, Para 9	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	222
(2)	Dowry Prohibition Act, 1961	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961— परिशिष्ट-चार	222
(3)	375/सी.आर.309/1(3) 30-6-1972	निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना	223
(4)	सी.5-1/2000/3/एक, 19-4-2000	शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/ सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत।	223

		विषय	पृष्ठ
		नियम - 15	
		शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन (Public demonstration in honour of Govt. Servants)	225
1.		नियम	226
2.		राज्य शासन के निर्देश–	
(1)	G.B.C. Part I, Sl.No. 9, Para 10.	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	226
(2)	मूलभूत नियम 74 (ए) के अंतर्गत पूरक नियम	चरित्र प्रमाण-पत्र देने का नियम — मूलभूत नियम 74 (ए) का पूरक नियम 32.	226
(3)	मूलभूत नियम 74 (ए) का पूरक नियम	शासकीय सेवकों की समाप्ति पर सेवापुस्तिका का निपटारा।	226
(4)	7190-9221-I/57 8-9-1958	Public demonstration in honour of Govt. servants— Clarification of provisions contained in Govt. servants' Conduct Rules.	227
		नियम - 16	
		प्रायवेट कारबार या नियोजन (Private business or employment)	229
1.		नियम	
2.		राज्य शासन के निर्देश–	
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9 Para 11 and 21	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	232
(2)	GBC Part I, Sl.No. 11 परिशिष्ट पाँच	सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की तबदीली।	234
(3)	GBC Part, Sl.No. 12, परिशिष्ट छः	छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों को गैर-सरकारी नौकरी को स्वीकार करने की अनुमति देना।	234
(4)	9019-5116-I 8-7-1957	Opportunities for Govt. servants to improve their educational qualifications.	234
(5)	413-268/I (iii)/61 9-2-1961	Dealings of a Govt. servant with a registered Co-operative Society.	235
(6)	2412-1270-2 (iii)/61 22-9-1961	Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinations.	235
(7)	137/19887/I (iii)/64 15-1-1965	Recognition of Technical and Professional Qualifications.	236
(8)	410/462-I (3)/72 13-7-1972	शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी।	237
(9)	713/75 28-7-1975	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में।	238

		विषय	पृष्ठ
(10)	सी.3-30/84/3/1 15-11-1984	शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।	239
(11)	सी.12-24/9/3/1 21-1-1992	शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध।	239
(12)	सी.5-5/92/3/1 20-8-1992	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में।	240

3. **निर्णय-विधि—**

(1) 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार या कारोबार' का अर्थ 241

(2) केन्द्रीय आचरण नियम 15 तथा मूलभूत नियम 11— सरकार के नियोजन के दौरान, बिना अनुमति प्राप्त किए, निजी नियोजन में काम करना— आरोप सिद्ध, सेवा से हटाने का आदेश कायम रखा गया। 241

(3) केन्द्रीय आचरण नियम 15 (1)— जानबूझकर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहना तथा बैंक में काम करना और वेतन प्राप्त करना— गंभीर अवचार हेतु पदच्युत उचित। 241

(4) केन्द्रीय आचरण नियम 15 (1)— सेवा से जानबूझकर परित्याग— कार्यालय के माध्यम से बिना आवेदन भेजे विदेशिक नियोजन तलाश करना— अशोभनीय आचरण— तथ्यों के आधार पर नियम 15 (1) के अंतर्गत अवचार सिद्ध नहीं। 242

(5) कार्यालय में निजी कार्य करना, व्यापार का कारोबार नहीं है 243

नियम - 17

विनिधान, उधार देना या उधार लेना
(Investment, Lending and Borrowing)

1. **नियम** 244

2. **राज्य शासन के निर्देश—** 246

(1) GBC Part I, Sl.No.9 Para 12 — आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें। 246

3. **निर्णय-विधि—**

(1) नियम का अन्तर्निहित सिद्धान्त 247

(2) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य आदत से है, एकल दृष्टान्त पर आधारित नहीं होगा 247

(3) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिये। 247

(4) नियम 17 (4) (ए)— 'पदीय संव्यवहार होने की संभावना' का उच्चतम न्यायालय द्वारा परीक्षण। 248

(5) नियम 17 (4) (एक) (ए)— ऐसे मित्र से उधार लेना जिससे शासकीय सेवक का पदीय संव्यवहार न हो और उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर भी न हो, आचरण नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। 249

विषय पृष्ठ

नियम 18

ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता
(Insolvency and habitual indebtedness)

1.	नियम		250
2.	राज्य शासन के निर्देश–		
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9 Para 13	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	250
3.	निर्णय-विधि–		
	(1) ऋणग्रस्तता का तात्पर्य स्वभावतः से है, एकल दृष्टान्त पर आरोप आधारित नहीं होगा।		251
	(2) जब तक अवांछनीय तथा असंयमित आदतों के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की आदत न हो, कार्यवाही नहीं करना चाहिये।		251
	(3) ऋणग्रस्तता— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (1) (ख) तथा (घ)— यदि कोई अधिकारी सामान उधार लेता है (भले ही उसकी कीमत अदा करने का उसका इरादा न भी रहा हो तो इसे बिना प्रतिफल के मूल्यवान वस्तु अभिप्राप्त करना नहीं कहा जा सकता— माल उधार लेना 'धनीय फायदा' अभिप्राप्त करने की कोटि में नहीं आता।		251

नियम - 19

जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति
(Movable, Immovable and Valuable Property)

1.	नियम		253
2.	राज्य शासन के निर्देश–		260
(1)	GBC Part I, Sl.No.9, Para 14	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	260
(2)	4826-1540-I 12-6-1958	Prohibition of Govt. servants from bidding (either privately or by proxy) at Govt. auctions.	262
(3)	1933-1505/I(iii)/60 27-8-1960	Immovable Property Form of Return— prescription of and instructions regarding.	263
(4)	614-1131/I (iii)/60 27-2-1961	Purchase and disposal of immovable property by Govt. servants.	265
(5)	204/49/I (iii) 25-1-1962	Immovable Property Transaction relating to.	266
(6)	1857/CR-227/I(iii)/62 22-8-1962	-do- -do-	267

		विषय	पृष्ठ
(7)	2351/1734/I (iii)/62 09-11-1962	Immovable property returns prescribed under the Conduct Rules— Maintenance of.	267
(8)	1950/2521/I (3)/85 15-9-1965	मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिये जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिये फार्म।	268
(9)	24930/2992/एक (3) 22-11-1968	शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर सम्पत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिये प्रक्रिया।	271
(10)	420/1019/I (3) 9-6-1969	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम सम्पत्ति के लेन-देन करने के संबंध में अनुदेश।	271
(11)	830/CR 423/I(3)/72 19-9-1972	शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों/विदेशी नागरिकों के संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश।	272
(12)	174/278/एक(तीन)/74 7-3-1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना।	275
(13)	सी.5-1-83-3-एक 1-11-1983	अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।	275
(14)	सी.5-1-85-3-एक 6-5-1986	शासकीय सेवकों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय बाबत।	277
(15)	657/231/86/6/एक 9-3-1987	डिप्टी कलेक्टरों के कार/स्कूटर अग्रिम स्वीकृत करने के पूर्व शासन के सूचना की अभिस्वीकृति या अनुमति प्राप्त करने के संबंध में।	278
(16)	सी.5-1/94/3/एक 5-1-1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालन करना।	278
(17)	सी-3-26/2000/3/एक 27-9-2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।	279
(18)	सी.5-1/2002/3/एक 4-5-2002	शासकीय सेवकों को चल-अचल सम्पत्ति का अर्जन अथवा निर्माण करने के संबंध में आचरण नियमों के अंतर्गत स्वीकृति देने के संबंध में।	280

3. **निर्णय-विधि—**

(1) ज्ञात आय स्त्रोतों के अनुपात से यदि अर्जित जायदाद अधिक हो तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि बेईमानी से अवैध अर्जित की गई है। 281

(2) (अ) अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा विक्रय बेनामी लेन-देन— नियम 18 (2) तभी लागू होगा, जब शासकीय सेवक द्वारा सम्पत्ति का अर्जन या विक्रय बेनामी किया जाए। यदि उसके परिवार का कोई सदस्य वास्तव में स्वामी है तो सम्पत्ति के क्रय या विक्रय से यह नियम शासकीय सेवक पर लागू नहीं होगा। इस नियम के अंतर्गत दुराचरण सिद्ध करने के लिये बेनामी लेन-देन की सभी शर्तों को सिद्ध करना पडेगा। 281

	विषय	पृष्ठ
	(ब) पति-पत्नी (spouse) अथवा शासकीय सेवक के परिवार के किसी दूसरे सदस्य द्वारा अपने धन (स्त्रीधन, उपहारों, दायप्राप्ति, इत्यादि) से अपने नाम सम्पत्ति क्रय की जाये तो नियम 18 (2) तथा (3) के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् शासकीय सेवक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।	282
(3)	आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन परिसम्पत्ति— स्पष्टीकरण की असफलता— भ्रष्टाचार की परिकल्पना— अभिनिर्धारित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 का सेक्शन 5 (3) विभागीय कार्यवाहियों में भी लागू तथा सेवक को परिसम्पत्ति का स्पष्टीकरण सन्देह से परे देना होगा— वाउचरों सहित आय-व्यय के सम्पूर्ण लेखे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि संयुक्त परिवार में ऐसा प्रस्तुतीकरण बहुत कठिन है।	284
	आय के 10 प्रतिशत से कम अनुपातहीनता को छोड़ना होगा — अनुपात-हीनता केवल 2.5 प्रतिशत ही है अतः भ्रष्टाचार का आरोप कायम नहीं।	284
	चल सम्पत्ति की जानकारी देना अनिवार्य— जानकारी न देना इतना गंभीर दुराचरण नहीं कि पदच्युत किया जाए— परिनिन्दा पर्याप्त।	284
(4)	नियम 19 (2) — शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न ही अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई स्थावर सम्पत्ति क्रय करेगा और न विक्रय ही। पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है— मकान क्रय करने के लिये अग्रिम बाबत निवेदन करने का तात्पर्य नियम 19 (2) की शर्तों के अनुसार पूर्व जानकारी देना नहीं है।	286

नियम 20

शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना
(Vindication of Acts and Character of Government Servants)

1.	नियम	287
2.	राज्य शासन के निर्देश—	287
(1)	GBC, Part I, Sl.No. 9 Para 15 आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	287
3.	निर्णय विधि—	
(1)	अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17— सेवा के सदस्यों के कार्यों और चरित्र के विरुद्ध दोष के प्रतिकार हेतु सदस्यों पर अवरोध— किसी समारोह में दिया गया भाषण उसका पदीय कार्य नहीं माना जाएगा और व्यक्तिगत हैसियत में किए गए कार्य नियम 17 द्वारा लगाए गए अवरोध से बाहर होंगे— अतः नियम 17 आकर्षित नहीं होगा।	288
(2)	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का सेक्शन 3 (क्यू) (पाँच)— सेवा के मामले— सरकार के दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 197 के अंतर्गत स्वीकृति देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में शिकायत— अधिनियम के क्लाज (पाँच), के अंतर्गत सेवा का मामला नहीं— अखिल भारतीय (आचरण) नियम, 1968 का नियम 17 भी लागू नहीं, अतः याचिका निरस्त।	289

नियम 21

अशासकीय व्यक्ति का प्रचार या अन्य प्रभाव डालना
(Canvassing of Non-official or other Influence)

1.	नियम	291

		विषय	पृष्ठ
2.	राज्य शासन के निर्देश—		291
(1)	GBC, Part I, Sl.No. 9 Para 16	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूर्वक हिदायतें।	291
(2)	1680-2375/I (iii) 6-8-1959	Transfers and postings of Govt. servants	291
(3)	279/272/I (iii)/65 5-2-1966	-do- -do-	292
(4)	1575/1964/एक (3) 27-9-1969	शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्य मंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश।	293
(5)	555/220/एक (3) 20-2-1970	शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियाँ ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो।	293
(6)	1272/प्रसको/70 12-11-1972	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना	294
(7)	सी. 13-14/73/3/1 24-8-1973	सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना	294
(8)	सी.5-6/77/3/1 4-7-1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	295
(9)	एफ. 5-6/77/3/1 29-7-1977	-तदैव- -तदैव-	295

छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देश

(1)	एफ 2-1/2003/1/3 16-6-2003	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	296
(2)	एफ 1-2/2003/1/3 16-6-2003	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना।	297
3.	निर्णय विधि—		
	(1) स्थानान्तर पर राजनीतिक दबाव डालना		298

नियम 22

द्विविवाह

(Bigamous Marriage)

1.	नियम		299
2.	राज्य शासन के निर्देश—		300
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9 Para 17.	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	300
(2)	1482-945-I (iii)/61 6-6-1961	Plural Marriages — Requests of Govt. servants for permission to remarry while first wife is still living.	300

	विषय	पृष्ठ
3.	निर्णय-विधि–	
	(1) आचरण नियम में पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिये अनुज्ञा प्राप्त करना मुस्लिम समुदाय के शासकीय सेवकों के लिये भी लागू है और नियम वैध है।	301
	(2) बिना अनुमति के मुस्लिम शासकीय सेवक द्वारा तीसरा विवाह करना— चूंकि मुस्लिम स्वीय विधि में ऐसा विवाह अनुज्ञेय है अतः शास्ति कठोर है— एक वेतनवृद्धि रोकना पर्याप्त।	301.
	(3) एक शासकीय सेवक का दूसरे शासकीय सेवक से विवाह करना आचरण नियम का उल्लंघन— सेवा से पदच्युत करना उचित— शास्ति की मात्रा न्यायिक परीक्षण।	302
	(4) बिना अनुमति के दूसरा विवाह करना— आरोप अस्पष्ट तथा कहे-सुने बयानों पर विश्वास का प्रभाव— विभागीय जांच में प्रमाण मापदण्ड।	302
	(5) द्विविवाह का आरोप — विभागीय जांच — विभागीय कार्यवाही के सीमित उद्देश्य के लिये दूसरे विवाह के प्रश्न को परीक्षण से विभागीय प्राधिकारी को रोका नहीं जा सकता। पदच्युत आदेश के प्रचलन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्थगित करना कि दूसरे विवाह का प्रश्न विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय पर नहीं तोड़ा जा सकता, उचित नहीं था— अभिनिर्धारित, विभागीय कार्यवाहियों के बाद अपचारी अपनी वैवाहिक स्थिति हेतु सिविल या वैवाहिक न्यायालय जा सकता है।	303
	(6) पत्नी के जीवित रहते दूसरी स्त्री से सम्बन्ध रखना और उसी के साथ रहना— विभागीय जांच में दूसरी स्त्री का बयान न लेना— अभिनिर्धारित, अभियोजन के लिये घातक-साक्ष्य के अभाव में आरोप स्थापित नहीं।	303
	पुरुष शासकीय सेवक का एक स्त्री से यौन संबंध रखना— प्रतिषेधी कानून (prohibitary law) की अनुपस्थिति में दुराचार है, हाँ।	303
	(7) द्वि-विवाह— विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक ने पहली पत्नी की सम्मति से, किन्तु राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, दूसरा विवाह किया— सेवा समाप्त— अभिनिर्धारित, ऐसा निस्सन्देह अवचार है किन्तु परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए पदच्युत का दण्ड कठोर है— अतः संचई प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकना प्रतिस्थापित किया गया— पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।	304
	(8) द्विविवाह— याची सेना में लांस नायक था— उसने अपनी पत्नी के रहते पुनर्विवाह किया— कारण बताओ नोटिस के उत्तर में इसे स्वीकार किया— सेवा के विनियमन, 1987 के उल्लंघन में उसकी सेवा समाप्त की गई— उसे भा.दं.सं. की धारा 494 के अधीन अभियोजित किया गया किन्तु द्वितीय विवाह की 'सप्तपदी' के धर्मानुष्ठान का पालन साबित न होने पर दोषमुक्त किया गया— उसने सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त करने के लिये याचिका दायर की— अभिनिर्धारित, याची को भा.दं.सं. की धारा 494 के घटक (ingredients) साबित न होने के आधार पर दोषमुक्त किया गया था— उसके उत्तर के आधार पर विवाह की स्वीकार्यता समाप्त नहीं हो जाती अतः रिट याचिका खारिज की गई।	305

	विषय		पृष्ठ
	नियम 22 - क		
	अवचार की सामान्य धारणा		
	(General Concept of Misconduct)		
1.	नियम		306
2.	राज्य शासन के निर्देश–		307
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9 Para 3	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें— देखें नियम 3 के निर्देश।	307
3.	निर्णय विधि–		
	(1) अवचार की परिभाषा		307
	(2) सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता का अर्थ		307
	(3) अशोभनीय आचरण		307
	(4) अवचार क्या है		307
	(5) शासकीय आवास का वचनपत्र देने के बावजूद भी रिक्त न करना कदाचार है— अभिनिर्धारित, इसे उचित नहीं कहा जा सकता और न ही ऐसे कृत्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है— अतः अनुशासनिक कार्यवाही उचित— यह तर्क अस्वीकार किया गया कि आचरण नियम आकृष्ट नहीं होते।		307
	नियम - 23		
	मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग		
	(Consumption of Intoxication Drinks and Drugs)		
1.	नियम		308
2.	राज्य शासन के निर्देश–		308
(1)	GBC Part I, Sl.No. 9 Para 20	आचरण नियम, 1956 के नियमों पर पूरक हिदायतें।	308
(2)	सी-5-2/84/3/एक 16-5-1984	मादक पेयों और औषधियों के सेवन के संबंध में आचरण नियमों में दिये गये उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता।	309
(3)	सी.4-1/90/3/49 9-8-1990	शासकीय सेवा में नियुक्ति— कर्मचारियों से नियम 23 के अन्तर्गत वचन-पत्र लेना।	309
(4)	म.प्र. उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915	नियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या	310
3.	निर्णय विधि–		
	(1) ड्यूटी पर रहते हुए बस ड्रायवर का शराब पीना— अवचार		312
	(2) पुलिस आरक्षक का रिवाल्वर सहित अधिकतम नशे की स्थिति में ड्यूटी पर होना— गंभीर अवचार का कृत्य, सेवा से पदच्युत उचित।		312

नियम 23-क

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध

(Prohibition regarding Employment of Children below in 14 years of age)

313

1. नियम 313
2. राज्य शासन के निर्देश– 313

(1) सी.5-1/96/3/एक 27-9-2000 — शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत।

नियम 24

निर्वचन

(Interpretation)

314

1. नियम 314
2. निर्णय-विधि– 314
   (1) कानूनों के निर्वचन का सिद्धान्त 316
   (2) दूसरे परन्तुक में 'आगे प्रावधानित' का अर्थ— प्रथम परन्तुक अलग नहीं पढ़ा जा सकता। 316
   (3) प्रशासकीय अनुदेश 317
   (4) विवेक के अधीन शक्तियों का प्रयोग

नियम - 25

शक्तियों का प्रत्यायोजन

(Delegation of Powers)

319

1. नियम 319
2. शक्तियों का प्रत्यायोजन — इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियाँ

नियम 26

निरसन तथा व्यावृत्ति

(Repeal and Saving)

321

1. निरसित नियम

परिशिष्ट

Appendix

322

एक- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 336

दो- मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 365

तीन- जनहित के कामों के लिये चन्दा तथा दान इकट्ठा करना— पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक 10. 368

चार- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 371

पाँच- सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी की तबदीली — पुस्तक परिपत्र भाग एक, क्रमांक 11. 380

छः- छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों को गैर-सरकारी नौकरी को स्वीकार करने की अनुमति देना— पुस्तक परिपत्र भाग एक, क्रमांक 12